

**500 ग्राम अवैध गांजा व एक स्प्लेण्डर मोटरसाइकिल सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-** थाना कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 16.08.19 को समय 23.50 बजे सडक पुस्ता के पास से अभियुक्त हरिशंकर पुत्र श्रवण निवासी गैस एजेंसी के पास थाना कविनगर गा0बाद को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 500 ग्राम अवैध गांजा व एक स्प्लेण्डर मोटरसाइकिल जिसको सीज किया गया है बरामद हुई है।

**03 शातिर लूटेरें/नकबजन, लूटी गयी 03 सोने की चैन, 05 मोबाईल फोन, नशीला पाउडर व अवैध अस्लाह तथा घटनाओं में प्रयुक्त मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार-** थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा दिनांक 17.08.2019 को सेक्टर-1/2 वैशाली की पुलिया से 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 03 लूटी हुई सोने की चैन, 05 मोबाईल फोन, 390 ग्राम नशीला पाउडर व घटनाओं में प्रयुक्त डिस्कवर मोटर साईकिल व 01 तमंचा 315 बोर मय 02 कारतूस,-01 चाकू बरामद हुए है।

**गिरफ्तार अपराधियों के नाम पते:-**

- 1:- अभिषेक चौधरी उर्फ सागर पुत्र रतनपाल निवासी ग्राम रोरा थाना जहांगीराबाद जिला बुलंदशहर हाल निवासीम0न0-177 झण्डापुर थाना लिंक रोड गाजियाबाद। उम्र-25 वर्ष
- 2:- धीरज सिंह देव उर्फ नेपाली पुत्र दरवान सिंह देव निवासी राहुल प्रधान का मकान ब्लॉक के, पंचशील पार्क के पास श्यामपार्क एक्सटेशन थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद, हाल निवासी सकसैना के मकान में किरायेदार ग्राम झण्डापुर थाना लिंक रोड जनपद गाजियाबाद। उम्र-24 वर्ष
- 3:- सुनील गुप्ता पुत्र पुत्र स्व0 हरीबाबू निवासी कमल टाकीज के पास भौगांव मैनपुरी हाल निवासी मुकेश गुप्ता के मकान में महातम होटल के पास झण्डापुर थाना लिंक रोड गा0बाद। उम्र-32 वर्ष

**अभियुक्तगणों का अपराध करने का तरीका:-**

उक्त गैंग बहुत ही शातिर किस्म का गैंग है जो विभिन्न प्रकार का नशा करके अवैध अस्लाह लेकर मोटर साईकिलों से घूमघूम कर टारगेट चिन्हित कर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते है तथा विरोध करने वाले व्यक्ति को तमंचे/चाकू स डराकर उनके साथ चैन-स्नैचिंग/मोबाईल लूटपाट की घटनाए कारित करते है। उक्त गैंग लूटपाट की घटनाओं को करने के लिए मुख्य रूप से पैदल आने जाने वाले व्यक्तियों को अपना शिकार बनाता है तथा मौका देखकर बंद पडे मकानों/फ्लैटों में चोरी की घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। उक्त गैंग व गैंग के सदस्य जो विभिन्न थानों से पूर्व में भी जेल जा चुके है जिनके अपराधिक इतिहास व अन्य घटनाओं के सम्बंध में जानकारी की जा रही हैं।

**बरामदगी का विवरण:-**

- 1:-01 डिस्कवर मोटर साईकिल न0-डी0एल05एस05-2393 (घटनाओं में प्रयुक्त)
- 2:-01 सोने की चैन (सम्बन्धित अ0स0-1260/19 धारा 392/411 भादवि थाना इंदिरापुरम)

- 3:-01 सोने की चैन (सम्बन्धित अ0स0-1704/19 धारा 356/411 भादवि थाना इंदिरापुरम)  
 4:-01 सोने की चैन (सम्बन्धित अ0स0-1798/19 धारा 356/379/411 भादवि थाना इंदिरापुरम)  
 5:-01 MI मोबाईल फोन (सम्बन्धित अ0स0-279/19 धारा 392/411 भादवि थाना इंदिरापुरम)  
 6:-01 सैमसंग मोबाईल फोन (सम्बन्धित अ0स0-1495/19 धारा 380/411 भादवि थाना साहिबाबाद)  
 7:-01 MI सिल्वर मोबाईल फोन  
 8:-01 VIVO काला मोबाईल फोन  
 9:-01 MOTO काला मोबाईल फोन  
 10:-01 तमंचा 315 बोर मय 02 कारतूस  
 11:-01 चाकू  
 12:-390 ग्राम नशीला पाउडर

### अभियुक्त अभिषेक चौधरी का अपराधिक इतिहास

क्र0	अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	152/15	308 भादवि	लिंग रोड	गा0बाद
2	262/16	25 आर्म्स एक्ट	लिंग रोड	गा0बाद
3	263/16	8/20 एनडीपीएस एक्ट	लिंग रोड	गा0बाद
4	711/16	25 आर्म्स एक्ट	इंदिरापुरम	गा0बाद
5	1404/17	326/504 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद
6	1260/19	392/411 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद
7	1704/19	356/411 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद
8	1798/19	356/379/411 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद
9	279/19	392/411 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद
10	1495/19	380/411 भादवि	साहिबाबाद	गा0बाद
11	1808/19	25/4 आर्म्स एक्ट	इंदिरापुरम	गा0बाद
12	1810/19	8/21 एनडीपीएस एक्ट	इंदिरापुरम	गा0बाद
13	1812/19	411/414 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद

### अभियुक्त धीरज सिंह देव उर्फ नेपाली का अपराधिक इतिहास

क्र0	अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	224/15	60 आबकारी अधिनियम	लिंग रोड	गा0बाद
2	578/16	60 आबकारी अधिनियम	लिंग रोड	गा0बाद
3	583/16	60 आबकारी अधिनियम	लिंग रोड	गा0बाद
4	584/16	25 आर्म्स एक्ट	लिंग रोड	गा0बाद
5	1122/16	25/4 आर्म्स एक्ट	इंदिरापुरम	गा0बाद
6	1123/16	398/411 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद
7	1260/19	392/411 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद
8	1704/19	356/411 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद
9	1798/19	356/379/411 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद
10	279/19	392/411 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद
11	1495/19	380/411 भादवि	साहिबाबाद	गा0बाद
12	1807/19	3/25 आर्म्स एक्ट	इंदिरापुरम	गा0बाद
13	1809/19	8/21 एनडीपीएस एक्ट	इंदिरापुरम	गा0बाद
14	1812/19	411/414 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद

## अभियुक्त सुनील गुप्ता का अपराधिक इतिहास

क्र०	अ०स०	धारा	थाना	जनपद
1	1495/19	380/411 भादवि	साहिबाबाद	गा०बाद
2	1811/19	8/21 एनडीपीएस एक्ट	इंदिरापुरम	गा०बाद
3	1812/19	411/414 भादवि	इंदिरापुरम	गा०बाद

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा 2 शातिर मोबाइल सैचर चोर लूट/चोरी की योजना बनाते हुये गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मोटरसाईकिल एवं 6 अदद मोबाइल फोन एन्ड्रोइड एवं 2 अदद चाकू बरामद- थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा दिनांक 17/07/19 को लोनी बोर्डर क्षेत्र के गुरुदवारा रोड इन्द्रापुरी से 2 शातिर मोबाइल सैचर चोर (1) अभि० जतिन पुत्र जगननाथ नि० नारायण मैरिज होम के सामने विकास कुंज लोनी थाना लोनी बोर्डर गा०बाद (2) अभि० राहुल वर्मा पुत्र मान सिंह वर्मा नि० टावर वाली गली विकास कुंज लोनी थाना लोनी बोर्डर गा०बाद को लूट/चोरी की योजना बनाते हुये गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 1 मोटरसाईकिल, 06 मोबाइल फोन व 2 अदद चाकू बरामद हुए हैं।

### विवरण बरामदगी-

- (1) 1 मोटरसाईकिल SPLENDOR PRO रंग काला बिना नं० प्लेट की , चैसिस नं०- MBLHA10BFFME95429 , इंजन नं०- HA10ERFHE12247
- (2) 6 मोबाइल फोन
  - (1) INTEX IMEI नं० 911583850662647, 911583850662654 रंग काला (2) SAMSUNG GRAND DUOS IMEI NO.- 359841/05/028410/2, 359842/05/02810/0 रंग सफेद,
  - (3) SAMSUNG J-7 रंग गोल्डन
  - (4) MI COMPANY MODEL NO- 2016032 ,
  - (5) SAMSUNG IMEI NO- 358344-08-157596-1,358345-08-157596-8
  - (6) SAMSUNG ON 7 PRO रंग गोल्डन IMEI नं० 359932-07-176259-6 , 359933-07-176259-4
- (3) 2 अदद चाकू नाजायज बरामद

## घटना क्रम विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त राह चलते लोगो के मोबाइल छिन व झपटकर भाग जाते है तथा छिने गये मोबाइल फोन को सस्ते दामो पर बेच कर आर्थिक लाभ कमाते है एवं मौका पाकर बन्द मकानो मे चोरी आदि की घटनाओ को अन्जाम देते है घटना के दौरान अभिगण चोरी की मोटर साईकिल का प्रयोग करते है ताकि मोटर साईकिल को कही छोड कर फरार हो सके और पहचान न हो सके ॥ उक्त बरामद मोटर साईकिल के सम्बन्ध मे मु0अ0स0 577/19 थाना ज्योति नगर दिल्ली पर पंजीकृत है, तथा दाखिला शुदा मो0फोन व चाकू व मो0साइकल के आधार पर थाना लोनी बोर्डर पर मु0अ0सं0 650/19 धारा 398/401 भादवि बनाम जतिन व राहुल उपरोक्त , व मु0अ0सं0 651/19 धारा 411/414 भादवि बनाम जतिन व राहुल उपरोक्त व मु0अ0सं0 652/19 धारा 4/25 आर्मस एक्ट बनाम जतिन उपरोक्त व मु0अ0सं0 653/19 धारा 4/25 आर्मस एक्ट बनाम राहुल पंजीकृत है ।

## अपराधिक इतिहास-

(1)अभि0 जतिन पुत्र जगननाथ नि0 नारायण मैरिज होम के सामने विकास कुंज लोनी थाना लोनी बोर्डर गा0बाद

- (1)मु0अ0सं0 650/19 धारा 398/401 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा0बाद
- (2)मु0अ0सं0 651/19 धारा 411/414 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा0बाद
- (3)मु0अ0सं0 652/19 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना लोनी बोर्डर गा0बाद
- (4)मु0अ0सं0 577/19 थाना ज्योति नगर दिल्ली
- (5)मु0अ0सं0 295/19 धारा 392 भादविथाना लोनी बोर्डर गा0बाद
- (6)296/19 धारा 411/414 भादविथाना लोनी बोर्डर गा0बाद

(2) अभि0 राहुल वर्मा पुत्र मान सिंह वर्मा नि0 टावर वाली गली विकास कुंज लोनी थाना लोनी बोर्डर गा0बाद

- (1)मु0अ0सं0 650/19 धारा 398/401 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा0बाद
- (2)मु0अ0सं0 651/19 धारा 411/414 भादविथाना लोनी बोर्डर गा0बाद
- (3)मु0अ0सं0 653/19 धारा 4/25 आर्मस एक्टथाना लोनी बोर्डर गा0बाद
- (4)मु0अ0सं0 577/19 थाना ज्योति नगर दिल्ली
- (5)मु0अ0सं0 298/19 धारा 60/63 EX ACTबनाम थाना लोनी बोर्डर गा0बाद

## थाना कविनगर पुलिस द्वारा फर्जी शस्त्र लाइसेन्स बनाकर शस्त्रों की खरीद फरोख्त करने वाले 0 4

शातिर अभियुक्त मय अस्लहा व फर्जी शस्त्र लाइसेन्स सहित गिरफ्तार - थाना कविनगर पुलिस द्वारा दिनांक 16.08.2019 को मुखबिर द्वारा सूचना पर लालकुआँ फ्लाई ओवर के नीचे समय करीब 01.00 बजे रात्रि में आवश्यक बल प्रयोग कर फर्जी लाइसेन्स बनाकर शस्त्रों की खरीद फरोख्त करने वाले 04 शातिर अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 04 पिस्टल .32 बोर मय फर्जी तरीके से बनाये गये शस्त्र लाइसेन्स बरामद हुए हैं।

### संक्षिप्त विवरण:-

इस गैंग का सरगना हरिशंकर अवस्थी व उसका सहयोगी सदानन्द शर्मा निवासी शाहजहाँपुर है जो मौजूदा प्रधान भी हैं। इनके द्वारा जिलाधिकारी शाहजहाँपुर के कार्यालय में नियुक्त संविदा कर्मी पवनेश व श्याम बिहारी व अन्य कर्मियों से साठगांठ कर आनलाईन युनिक आईडी शस्त्र लाइसेन्सो पर दर्ज कराकर अपराधियों व संगठित गिरोहो को सप्लाई किया जाता था। शाहजहाँपुर के सहरामऊ उत्तरी थाने के सम्बन्धित शस्त्र लाइसेन्स रजिस्ट्रर वर्ष 2007 में गायब हो गया था जिसके सम्बन्ध में FIR दर्ज कराई गई थी। उस समय के अभिलेख न उपस्थित होने का फायदा उठाते हुये यह गैंग उस दिनांक के फर्जी लाइसेन्स बनाता था और उसे संविदा कर्मियों के साठगांठ से UID दिलवा देते थे उसके बाद वह अपने सही पते पर उक्त शस्त्र को दर्ज करवाते थे। ये फर्जी शस्त्र लाइसेन्स बनाकर शस्त्र की खरीद फरोख्त करते थे तथा घर बैठे बिना पुलिस की जांच व वरिष्ठ अधिकारियों के हस्ताक्षर के बिना शस्त्र लाइसेन्स पर फर्जी हस्ताक्षर बना देते थे तथा उस पर युनिक आईडी जिलाधिकारी शाहजहाँपुर के कार्यालय में संविदा पर नियुक्त कर्मचारी पवनेश व श्याम बिहारी की मिली भगत से डलवा देते थे जिससे शस्त्र लाइसेन्स असली लगे। 01 शस्त्र लाइसेन्स बनवाने में 05 से 10 लाख रुपये लिये जाते थे जिसमें शस्त्र भी शामिल था। ग्राहको की सन्तुष्टि के लिये एक शस्त्र लाइसेन्स लेने का फार्म भरकर आधार कार्ड व पैन कार्ड की फोटो कापी तथा फोटो ले लेते थे तथा शस्त्र लाइसेन्स 15 दिन में बनवाकर देने की बात कहते हुये कुछ पैसे एडवान्स में ले लेते थे। हरिशंकर अवस्थी व उसका सहयोगी सदानन्द शर्मा निवासी शाहजहाँपुर व फुरकान पुत्र अब्दुल वहीद निवासी बिहारीपुरा कमला हाल वाली गली लाल क्वार्टर के सामने थाना विजयनगर गा0बाद, संजय गर्ग S/o राजपाल गर्ग निवासी A – 3, सैक्टर 12 प्रताप विहार थाना विजयनगर जनपद गा0बाद, विनोद पुत्र तेजराम सिंह निवासी मकान नं. 64 सर्वोदय नगर थाना विजयनगर गा0बाद लोग वर्तमान समय में जिला कारागार डासना में अन्तर्गत धारा 420,467,468,471,120 B IPC व 3/25 A. Act में निरुद्ध है वांछित अभि0 नरेन्द्र सिंह पुत्र समुन्दर सिंह, दीपक गर्ग पुत्र विजय कुमार गर्ग, पिन्टू पुत्र कुरी सिंह, पवन गर्ग पुत्र राजपाल गर्ग को इनके जुर्म धारा 420,467,468,471,120 B IPC व 3/25 A. Act से अवगत कराते हुये हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारशुदा अभि0गण मूल रूप से गाजियाबाद जनपद के निवासी हैं जिनके द्वारा

जनपद शाहजहाँपुर से फर्जी तरीके से शस्त्र लाईसेंस बनवाया गया जो मय शस्त्र मय शस्त्र लाईसेंस बरामद हुआ है। नियमतः गिरफ्तारशुदा अभियुक्तो द्वारा अपने निवास जनपद से ही शस्त्र लाईसेंस प्राप्त करने का प्रत्यावेदन किया जा सकता है। शेष वांछित अभियुक्तो व शस्त्र धारको की तलाश हेतु टीम गठित कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र समुन्दर सिंह नि० 128 सर्वोदय नगर थाना विजयनगर गाजियाबाद।
2. दीपक गर्ग पुत्र विजय कुमार गर्ग नि० ई229 सै० 9 थाना विजयनगर गाजियाबाद।
3. पिन्टू पुत्र कुरी सिंह नि० म०नं० 213 गली नं० 5 चरण सिंह कालोनी सै० 12 प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद।
4. पवन गर्ग पुत्र राजपाल गर्ग नि० आर 117 वकील कालोनी सै० 12 प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद।

### **अभियुक्तगण से बरामद शस्त्र लाइसेन्स/ शस्त्र**

1. 01 पिस्टल .32 बोर पिस्टल नम्बर 189112864 लिखा है मय शस्त्र लाईसेंस अभि० नरेन्द्र से बरामद।
2. एक अदद पिस्टल .32 बोर रंग काला जिस पर नम्बर 189112856 लिखा है मय शस्त्र लाईसेंस अभि० दीपक गर्ग से बरामद।
3. 01 अदद पिस्टल .32 बोर रंग काला नम्बर 189111996 लिखा है मय शस्त्र लाईसेंस अभि० पिन्टू से बरामद।
4. 01 पिस्टल .32 बोर रंग स्टील नम्बर 190210745 लिखा है मय शस्त्र लाईसेंस अभि० पवन गर्ग से बरामद।

### **थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा 30 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का व घटना में प्रयुक्त एक इनोवा कार**

**बरामद:-** थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा दिनांक 17.08.19 को समय 6.00 बजे खिमवती पुलिस के पास से अभियुक्त गौरव पुत्र सौहनपाल निवासी खिमवती थाना मुरादनगर गा०बाद 2- सुशील पुत्र भगवानदास निवासी खिमवती थाना मुरादनगर गा०बाद 3- कुलदीप(गाडी मालिक) पुत्र राजेन्द्र निवासी गली नं०-3 उपहार रेजीडेंसल रतन विहार गुडगाँव हरियाणा के कब्जे से 30 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब हरियाणा मार्का व घटना में प्रयुक्त एक इनोवा कार बरामद हुई है। उपरोक्त अभियुक्तगण मौके से भागने में सफल रहे हैं जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है